

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.80/2019

सरकार बनाम प्रदीप

पीठासीन अधिकारी

अनूप सिंह (आरटीएस)

दिनांक- 14/11/19

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.07 है0 पर प्रदीप पुत्र संतलाल जाति महाजन निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने मैड व जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सूचनाप्राप्त गैर सायल जरिये वकिल श्री कमलेश कुमार एड. उपस्थित आया । तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । बार- बार अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नहीं किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है ।

अतः गैरसायल प्रदीप पुत्र संतलाल जाति महाजन निवासी नारहेडा जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 617/2.72 है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे कमशः 0.07 है0 पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः प्रदीप पुत्र संतलाल जाति महाजन निवासी नारहेडा जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 617/2.72 है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे 0.07 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात की गई जोत को हटाया जा कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के

आरोप में लगान राशी 2.10का पचास गुणा 105 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार निलामी, बेदखली, पैनल्टी वसुली हेतु भू 0 अ 0 नि 0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया।



बय 2019-20 का राजस्व
के पृष्ठ संख्या 52 पर 105
इसके कारण जितने मध्ये।

राजस्व लेखिका
कोटपुलली